संख्या-25/2026/183/59-2-2026/001-1812961

प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 21 अप्रैल, 2026

विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-5 (सामान्य) के अन्तर्गत उत्पाद विकास, मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय योजना हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पंत्राक-07/खा0ग्रा0बो0/गु0नियं0ह0मिशन-52/2026-27, दिनांक 07.04.2026 द्वारा प्रेषित कार्ययोजना अनुमोदित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-5 के अन्तर्गत उत्पाद विकास, मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय योजना हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 70.00 लाख (रूपये सत्तर लाख मात्र) को निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत निर्गत किये जाने एवं उसे निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्तें/ प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि की स्वीकृति की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग होने की दशा में योजनाधिकारी/ विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होगें।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का नियमानुसार उपभोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र खादी बोर्ड द्वारा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पंत्राक-07/खा0ग्रा0बो0/गु0नियं0ह0मिशन-52/2026-27, दिनांक 07.04.2026 द्वारा प्रस्तावित कार्ययोजना के अनुसार ही उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किया जायेगा।

(6) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक सत्र में प्रवक्ता सहित समस्त प्रशिक्षार्थियों के प्रतिदिन के प्रशिक्षण का डिजिटल फोटोग्राफ, जिसमें समय एवं तिथि अंकित हो खिचवाकर संरक्षित किया जायेगा। साथ ही प्रशिक्षार्थियों के मोबाइल नम्बर एवं आधार नम्बर भी उल्लिखित किये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) कार्मिक विभाग प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ के शासनादेश संख्या-1/1/2010-का-प्रसको.-2014, दिनांक 03 सितम्बर, 2014 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार प्रशिक्षण हेतु विशेषज्ञों/अतिथि वार्ताकारों/अन्य हेतु जो दरें निर्धारित है, उन्ही का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) (प्रथम) उ0प्र0, प्रयागराज व उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्प्ट्रोलर एण्ड आडीटर जनरल भारत सरकार या उनके द्वारा मनोनीत किसी अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिए भी उपलब्ध रहेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 70,00,000 (रू0 सत्तर लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या-**005 **लेखा शीर्षक** 2851001052500 उत्पाद विकास, मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय **मानक मद** 42-अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

सुनील कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-25/2026/183/59-2-2026/001-1812961 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/,द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0, 125, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4/ औद्योगिक विकास अनुभाग-2
7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
8- वित्त एवं लेखाधिकारी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुनील कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।